भण्डारण की आवश्यकता और उपाय

राजेन्द्र कुमार मीना
व्याख्याता अर्थशास्त्र
बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर (राज)

शोध सारांश - भण्डारण या संग्रहण की आवश्यकता का जन्म प्राचीन काल में हुआ होगा, जैसे-जैसे समाज का विकास व विस्तार होता गया, वैसे- वैसे भण्डारण या संग्रहण का प्रश्न भी जटिल होता गया। आज संग्रह का प्रश्न आर्थिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण बन चुका है। वर्तमान युग में किसी भी विकसित अथवा विकासशील अर्थव्यवस्था में संग्रहण की प्रक्रिया को विपणन व्यवस्था के एक प्रमुख अंग के रूप में स्वीकार कर विशेष महत्व प्रदान किया जाने लगा है। जिस कारण उत्पादन तथा वितरण की आर्थिक क्रियाओं के बीच महत्वपूर्ण श्रृंखला के रूप में इसकी उपयोगिता में निरंतर वृद्धि हुई है, जो वैज्ञानिक व तकनीकी प्रगति से काफी प्रभावित है। वैसे तो अंग्रेजों के शासन काल से ही भण्डारण या संग्रहण की दिशा में सुधारात्मक प्रयास शुरु किये गये थे, परंतु संग्रहण अवैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होने के कारण उनकी योजनाएं प्रगति नहीं कर सकी।

प्रस्तावना - भारत में भण्डारगृह व्यवस्था का अस्तित्व उतना ही प्राचीन है जितना की भारत वर्ष। ऋगवेद, मनुस्मृति, रामायण, महाभारत आदि प्राचीन ग्रंथों में इसका प्रमाणिक उल्लेख मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता काल के एक प्रमुख नगर की खुदाई के दौरान विशाल भण्डारागार के साक्ष्य प्राप्त हुये है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व अंग्रेजों द्वारा भण्डारण योजना के संबंध में पहल अवश्य की गई परंतु कृषि उत्पादन कम होने, अवैज्ञानिक संग्रहण पद्धति एवं भण्डारगृहों की कमी के कारण विकास न के बराबर हुआ। भारत जैसे विकासशील देश में भण्डारण या संग्रहण अत्यंत व्यापक है क्योंकि यह देश की वृद्धिगत जनसंख्या की उपभोग आवश्यकताओं की सतत् एवं व्यापक पूर्ति बनाये रखने के लिये, उत्पादों की सुरक्षा, श्रेणीकरण, प्रमाणीकरण, स्थानान्तरण, उचित वितरण, मूल्य स्थायित्व एवं कृषकों व उत्पादकों को साख सुविधा दिलाने में महत्वपूर्ण घटक के रूप में अपनाया जा रहा है। हमारे देश में लम्बे समय तक खाद्य असुरक्षा के कारण भुखमरी की स्थिति बनी रही क्योंकि हमारे यहां **न** तो जनसंख्या के अनुरूप उत्पादन था न ही भण्डारण क्षमता। कृषि उत्पाद का उपभोग मानव या तो स्वंय करता है या फिर उनकी खपत उद्योगों में होती है। सरकार को आपातकाल में देश को अकाल, सूखे, विपत्ति आदि के समय कृषि उपजों के वैज्ञानिक तरीके से भण्डारण करने की आवश्यकता महसूस हुई परंतु सरकार के लिये खाद्यान्नों का उचित रख- रखाव, क्रय-विक्रय तथा जनता तक सरलतम व सस्ते दामों पर उपलब्ध कराने का कार्य अत्यंत जटिल था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि एवं तृतीय पंचवर्षीय योजना में खाद्यान्न के मामले में आत्म निर्भरता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया।

प्रति वर्ष प्रकृति के प्रकोप, असुरक्षित भण्डारण, कीड़ों, चूहों व चोरी आदि के कारण लगभग 50,000 करोड़ रूपये का अनाज नष्ट हो जाता है। इसमें 80 प्रतिशत से अधिक हिस्सा सरकारी अनाज का है। वैज्ञानिक सर्वेक्षण बताते है कि देश में उत्पादित खाद्यान्न का मुख्य भाग कीड़ों, चूहों, पक्षियों, सीलन, फुंगी, गलत हैन्डलिंग, ट्रांसपोटेशन तथा अवैज्ञानिक भण्डारण विधियों के कारण नष्ट हो जाता है, जो अनुमानतः प्रति वर्ष कुल उत्पादित खाद्यान्न का लगभग 10 प्रतिशत यानि करीब 9 करोड़ मन या 36 लाख टन है। इसमें से 6 प्रतिशत भाग तो केवल गलत भण्डारण के कारण नष्ट हो जाता है। यदि इसे नष्ट होने से बचा लिया जाये तो वह संपूर्ण भारतवासियों के 15 **दिनों** के भोजन के लिये पर्याप्त होगा।

उद्देश्य –

1. संग्रहण व भण्डारण को जानना ।

2. सरकारी स्तर पर इस दिशा में प्रयासों को जानना ।

परिकल्पना - यह किसी भी शोध प्रक्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण चरण है। मेरे इस आलेख की परिकल्पनायें निम्न है -

1. कृषि उत्पादन के क्षेत्र में वांछित उन्नति एवं प्रमुख निर्यातक देश होने के बाद भी भण्डारण के क्षेत्र में पर्याप्त विकास नहीं हुआ है।
2. कार्पोरेशन की भण्डारण प्रणाली में सुधार कर कृषकों व जमाकर्ताओं को अधिकतम लाभ दिया जा सकता है।

संग्रहण - यह बात सर्वमान्य है कि मानव अपनी प्रकृति के अनुरूप अपनी भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये खाद्यान्न उत्पादों एवं धन का संग्रह करता है । बचत करना भविष्य की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण नियोजन है और यह सभी के लिये आवश्यक भी है। यह भी सत्य है कि प्रत्येक वस्तु जिसका उत्पादन हुआ है, उत्पादित होते ही उपभोग नहीं कर ली जाती है वरन् भविष्य के लिये उसका कुछ भाग संचित कर लिया जाता है। अतः उत्पादित वस्तु को उस अवधि तक सुरक्षित व व्यवस्थित रखना जब तक उसका उपभोग नहीं कर लिया जाता 'संग्रहण' कहलाता है।

प्रसिद्ध अर्थशास्त्री **प्रो. क्लार्क एण्ड क्लार्क** के अनुसार- 'संग्रह, माल रखने एवं रक्षा करने की रीति है' एवं प्रो. पाइले के अनुसार- 'संग्रह, समय उपयोगिता प्रदान करता है तथा वस्तुओं के एक समय या ऋतु में उत्पन्न होने और दूसरे समय में उपयोग किये जाने के मध्य में जो समय का असंतुलित उत्पादन होता है उसको ठीक करता है'। अतः उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि संग्रहण वह विधि है, जो कि भविष्य की आवश्यकताओं की समस्या का समाधान करती है।

उत्पादन प्रणाली में जितना गुणात्मक एवं परिणात्मक सुधार होता जायेगा, संग्रहण की आवश्यकता एवं महत्व उतना ही बढ़ता जायेगा।

भण्डारण - साधारणतया संग्रहण और भण्डारण में कोई अंतर दिखायी नहीं देता है लेकिन भण्डारण शब्द विस्तृत है, इसमें संग्रहण भी आता है। इसे कई तरह से परिभाषित किया जा सकता है, जैसे विशिष्ठ संस्थाओं के द्वारा व्यावसायिक लाभ के उद्देश्य से संग्रहण, 'भण्डारण' कहलाता है, अथवा भण्डारगृहों में वैज्ञानिक विधियों द्वारा विभिन्न स्कंधों का लम्बी अवधि के लिये रखा जाना, 'भण्डारण' कहलाता है। इस प्रकार हम कह सकते है कि संग्रहण एक कार्य है जबकि भण्डारण एक प्रक्रिया है।

भण्डारण एक ऐसी आर्थिक क्रिया है, जो कृषि उत्पादन में समय उपयोगिता का ह्रास होने से बचाती है। भण्डारण की आवश्यकता समयानुकूल उत्पादन, मौसमी मांग, वस्तु के गुण, मांग व पूर्ति में संतुलन, मुद्रा प्रसार व मुद्रा स्फिति पर नियंत्रण, विपणन की विभिन्न क्रियाओं, तत्कालीन आवश्यकताओं, उत्पादकों व व्यापारियों के संदर्भ में भी देखी जाती है। भण्डारगृह - भण्डारगृह वह भवन या स्थान है, जहां पर विशिष्ट संस्थाओं व्दारा वाणिज्यिक वस्तुओं का संग्रहण वैज्ञानिक ढंग से किया जाता है। भण्डारगृह अधिनियम 1974 के अनुसार भण्डारगृह से आशय एक भवन या सुरक्षित घेराबंदी से है, जिसमें कृषि उत्पाद को संग्रहित किया जाता है या किया जा सकता है।

भण्डारगृहों के प्रकार - भण्डारगृह कई प्रकार के होते हैं। जिसमें उत्पादक, व्यापारी अथवा कृषक अपने उत्पाद को आवश्यकता न पड़ने तक या उचित मूल्य प्राप्त न होने तक रख सकता है, जैसे- निजी भण्डारगृह, सार्वजनिक भण्डारगृह, सहकारी भण्डारगृह, सरकारी भण्डारगृह, नियंत्रक भण्डारगृह, शीतक भण्डारगृह, बंधक भण्डारगृह, रेल्वे भण्डारगृह, कृषकों द्वारा निर्मित भण्डारगृह, वर्गीकृत भण्डारगृह, भण्डारगृह निगम के भण्डारगृह, अन्य भण्डारगृह (साइलो, बिन, एलिवेटर, कैप भण्डारण, हस्तांतरणीय भण्डारगृह, स्वचलित भण्डारगृह, क्षेत्र भण्डारगृह, अनुबंध भण्डारगृह, कारखाना प्रतिबंधित भण्डारगृह एवं वेयरहाउसिंग हब) आदि ।

भण्डारगृहों से लाभ - किसान व व्यापारी अपने खाद्यान्नों को जब तक सुरक्षित रख सकते है, जब तक उन्हें इसका उचित बाजार मूल्य प्राप्त न हो जाये या जब तक उन्हें आवश्यकता न हो । वैज्ञानिक भण्डारण प्रक्रिया के तहत उपभोक्ता को उत्पाद की सुरक्षा, श्रेणीकरण प्रमाणीकरण, स्थानान्तरण, कीटोपचार, विपणन, परिवहन, पैंकिंग, मूल्यस्थिरीकरण, मांग व पूर्ति में संतुलन व निश्चिन्त संग्रहण की सुविधा आदि का लाभ मिलता है, वहीं दूसरी ओर अति महत्वपूर्ण बात यह है कि वह

अपने द्वारा भण्डारित किये गये स्कंध की भण्डारगृह रसीद पर किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक या सरकार द्वारा अनुसूचित बैंक से अपनी पात्रता सिद्ध करते हुए प्रति कृषक अधिकतम 1 लाख रूपये (25 प्रतिशत मार्जिन मनी के साथ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज दर पर 6 माह की पुनर्भुगतान अवधि की शर्तों के अधीन साख सुविधा ले सकता है जबकि व्यापारी अपनी निश्चित वांछनीय पात्रता सिद्ध करते हुये 10 लाख रूपये तक मांग ऋण एवं 10 लाख रूपये से अधिक केवल नगद साख (40 प्रतिशत मार्जिन मनी के साथ) समय-समय पर निर्धारित दर से 3 से 6 माह अथवा वेयर हाउस रसीद की तिथि (जो भी पहले हो) की अवधि के लिये वित्त सुविधा ले सकता है।

इससे किसानों की ऋणग्रस्तता में कमी आती है। स्कंध को आकस्मकताओं, आग, चोरी आदि से बचाने के लिये बीमा प्राप्त हो जाता है। श्रमिकों को कई रूपों में रोजगार प्राप्त होता है।

उपभोक्ताओं को वर्ष भर वस्तुओं की आपूर्ति करना संभब हो जाता है। भण्डारगृहों से प्राप्त आय भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 10 (29) में कर मुक्त आय है। जमाकर्ताओं को वैज्ञानिक भण्डारण से कीड़ों, चूहों, पक्षियों व दीमक से सुरक्षा व सरकार को भी इससे कई प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होते है।

समस्यायें –

1. खाद्यान्नों व उर्वरकों का एक ही स्थान पर भण्डारण करने से खाद्यान्न की गुणवत्ता में कमी होना ।
2. स्कंध का लम्बी अवधि तक भण्डारण होने से श्रेणी व वजन में कमी होना।
3. जमाकर्ताओं द्वारा जमा स्कंध मानक गुणवत्ता स्तर का न होना, जिस कारण लाभदायकता घटती है।
4. जमा के समय नई फसल में नमी का प्रतिशत अधिक होना।
5. कृषकों व व्यापारियों को भण्डारगृह एवं भण्डारगृह रसीद से प्राप्त लाभ की जानकारी का होना ।
6. भण्डारगृहों पर सुरक्षा व सुविधाओं की कमी।
7. निजी भण्डारगृह स्थापित करने में उद्यमियों में रुचि की कमी।
8. भण्डारण तकनीकों के लिए शोध व अनुसंधान कार्य न के बराबर होना ।

सुझाव-

1. वैज्ञानिक भण्डारण के लिए पर्याप्त सरकारी तंत्र विकसित करना चाहिए।
2. स्कंध की गुणवत्ता मानक स्तर की होनी चाहिए।
3. आबादी की वृद्धि के साथ खाद्यान्न की उपलब्धता व भण्डारण क्षमता घटना नहीं चाहिए |
4. भण्डारगृहों का वृहत जाल फैलाना होगा ताकि बंफर स्टाक की स्थिति में उसे सुरक्षित किया जा सके।
5. परिवहन व संचार के साधनों का विकास करना होगा।
6. मंडियों में भण्डारगृहों की आधारभूत संरचनाओं का विकास करना होगा।
7. किसानों का दृष्टिकोण आर्थिक से वैज्ञानिक बनाना होगा।
8. भण्डारण की दरों को अपेक्षाकृत कम व पुनरीक्षित करना होगा ।
9. भण्डारण तकनीकों के लिए आवश्यक शोध व अनुसंधान कार्य होना चाहिए।
10. निजी भण्डारण व्यवस्था को पारदर्शी सुदृढ़ व जन - उपयोगी बनाना होगा ताकि वह केवल लाभ कमाने के लिए न हों।
11. भण्डारगृहों में खाद्यान्न सुरक्षा हेतु (चूहों, कीट पतंगों, कीडों आदि) पर्याप्त उपाय योग्य व शिक्षित वैज्ञानिक भण्डारण अधिकारियों की निगरानी में करवाये जायें।

निष्कर्ष - अन्य देशों की तुलना में हमारी राष्ट्रीय आय में कृषि का हिस्सा आज भी अच्छा है। इसके बाबजूद भी भारत की तस्वीर निराशाजनक नहीं तो, संतोषप्रद भी नहीं कही जा सकती क्योंकि हमारे यहां आज भी गरीबी, बेरोजगारी, निर्धनता, भुखमरी और आधारभूत सेवाओं व सुविधाओं की कमी है। एन. ई. वौरलाग एवं एम. एस. स्वामीनाथन के विज्ञान एवं

परिश्रम ने देश में हरितक्रांति को जन्म दिया, जिससे हमारे देश का उत्पादन 50 मिलियन टन से बढ़कर 150 मिलियन टन हो गया, परंतु अब भी देश में खाद्यान्न भण्डारण के अभाव से उत्पादित खाद्यान्न की क्षति के कारण खाद्यान्न सुरक्षा हमारी प्रमुख व भयावह समस्या थी। जिसके उपाय के लिये इस दिशा में सरकार ने स्वयं व अपने नियंत्रण में निजी क्षेत्र के सहयोग से कार्यवाही प्रारंभ की और कृषि उपज मंडी, सहकारी विपणन संघ, भारतीय खाद्य निगम, सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन, राष्ट्रीय बीज निगम, केंद्रीय भण्डारगृह निगम एवं राज्यों में राज्य भण्डारगृह एवं लॉजिस्टिक्स् कार्पोरेशन जैसी संस्थाओं की स्थापना की और इन्हें भण्डारण का दायित्व सौपा। इन संस्थाओं के सम्मिलित प्रयासों ने खाद्य सुरक्षा और उससे संबंधित प्रमुख समस्याओं में से एक वैज्ञानिक भण्डारण प्रणाली में हमें सक्षम बनाया और वे अपने उद्देश्यों पर खरी उतरी है। खाद्यान्नों के वैज्ञानिक भण्डारण की प्रक्रिया ने हमारे देश को खाद्य सुरक्षा की श्रेणी में खड़ा कर दिया है।

सदर्भ ग्रंथ सूची :

1. सिंघल, डॉ. अमरचंद्र: भारत में कृषि विपणन, ए. बी. डी. पब्लिशर्स, जयपुर, 1994.
2. निजी वेयर हाउस संचालन हेतु मार्गदर्शिका : मध्यप्रदेश राज्य भण्डारगृह निगम भोपाल, 2002.
3.अधिनियम मध्यप्रदेश शासन: सेंट्रल प्रार्विस एण्ड बरार कृषि भण्डारगृह अधिनियम, 1947 .
4. अधिनियम मध्यप्रदेश शासन: मध्यप्रदेश कृषि भण्डारगृह नियम, 1961.
5. अधिनियम मध्यप्रदेश शासनः राज्य भण्डारगृह निगम अधिनियम, 1962.
6. अधिनियम मध्यप्रदेश शासन: मध्यप्रदेश राज्य भण्डारगृह निगम नियम, 1971.
7. अन्न सुरक्षा अभियान: खाद्य विभाग, कृषि एवं सिंचाई मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली.
8. अनाज की वैज्ञानिक भण्डारण आवश्यकता एवं महत्व: भारतीय अनाज संचयन संस्थान, हापुड़ (उ.प्र.)
9. वेयर हाउसिंग रसीद की जमानत पर अग्रिम : मध्यप्रदेश भण्डारगृह एवं लॉजिस्टिक्स् कार्पोरेशन, भोपाल (म.प्र.)
10. वार्षिक रिपोर्ट : ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, 2004-05.
11. कृषि चयनिका : कृषि मंत्रालय, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
12. कुरुक्षेत्र: ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली, अंक- जून 2011, जुलाई 2011, सितम्बर 2011.
13. योजना: योजना भवन, नई दिल्ली, अंक- जनवरी 2007 एवं सितम्बर 2011.
14. उद्यमिता: उद्यमिता विकास केन्द्र म.प्र. (सेडमैप), भोपाल, अंक- अक्टूबर 2002, मार्च - 2007, एवं नबम्बर 2008.